भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 456**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**निराश्रित/उपेक्षित बच्चों के लिए योजनाएं**

**456. श्री विजय पाल सिंह तोमरः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में निराश्रित/उपेक्षित बच्चों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे बच्चों के संरक्षण/शिक्षा हेतु योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल में इन योजनाओं/ कार्यक्रमों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो परिणाम के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ऐसे आंकड़े नहीं रखता है। केंद्र सरकार अधिनियम के निष्‍पादन के लिए तथा निराश्रित बच्‍चों सहित देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्‍चों के समग्र विकास के लिए सुरक्षित एवं निरापद माहौल सृजित करने के उद्देश्‍य से राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को वित्‍तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्‍कीम अर्थात्‍ ‘’बाल संरक्षण सेवाएं (सीपीएस)’’ (तत्‍कालीन समेकित बाल संरक्षण स्‍कीम) चला रही है। इनमें संस्‍थानिक एवं गैर-संस्‍थानिक देखरेख शामिल है जो सांविधिक सहायता यूनिटों, समीक्षा प्रदायगी संरचनाओं तथा बाल देखरेख संस्‍थाओं के नेटवर्क के माध्‍यम से प्रदान की जाती है। तथापि जेजे अधिनियम के निष्‍पादन की प्राथमिक जिम्‍मेदारी राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों की है।

(ग) से (ड.) : राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्‍त विभिन्‍न एमआईएस निगरानी एवं निरीक्षण रिपोर्टों के माध्‍यम से स्‍कीम के कार्यान्‍वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। यदि निगरानी के दौरान किसी कमी का पता चलता है तो तत्‍काल सुधारात्‍मक कदम उठाने हेतु उसे संबंधित राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों के साथ उठाया जाता है। इसके अलावा, सीपीसीआर अधिनियम, 2005 के तहत राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्‍य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों को देश में जेजे अधिनियम, 2012 के क्रियान्‍वयन हेतु अधिदेशित किया गया है।

\*\*\*\*\*